भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1756

05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के प्रमुख प्रावधान

†1756. कैप्टन बृजेश चौटाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्गों (एलआईजी) और मध्यम आय वर्गों (एमआईजी) हेतु पात्रता मानदंड सहित प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं कि उक्त योजना मकानों पर अनिवार्य महिला स्वामित्व के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करे; और

(ग) क्या सरकार ने दक्षिण कन्नड़ सहित कर्नाटक में पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो इन क्षेत्रों में लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) : प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है ताकि पात्र लाभार्थियों द्वारा चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से सस्ती लागत पर आवासों का निर्माण किया जा सके, उन्हें खरीदा और किराये पर लिया जा सके। आज तक, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना के दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/pmay-u-2.0-guidelines पर उपलब्ध हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी श्रेणी से संबंधित परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का आवास नहीं है, अपनी वरीयताओं के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के किसी भी घटक के तहत आवास खरीदने या बनाने के पात्र हैं।

इस योजना के तहत, ईडब्ल्यूएस परिवारों को 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। एलआईजी को 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। एमआईजी को 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 के योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस योजना के तहत विधवाओं, अकेली रह रही महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर और असुरक्षित वर्गों के लोगों को वरीयता दी जाती है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहचाने गए सफाई कर्मी, पथ विक्रेताओं और प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत विभिन्न कारीगरों, प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 के संचालन के दौरान पहचाने गए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, स्लमों/चॉलों के निवासियों और अन्य समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना के तहत केंद्रीय सहायता से निर्मित/अधिग्रहित/खरीदे गए आवास परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होने चाहिए और केवल उन मामलों में आवास परिवार के पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है, जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य न हो।

(ग): पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत, लाभार्थियों की पहचान योजना दिशानिर्देशों में परिभाषित पात्रता मानदंडों के आधार पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा की जाती है। पूर्वापेक्षा के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह अनिवार्य प्रावधान किया गया है कि वे योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित सुधारों के कार्यान्वयन पर सहमति और आवासों की स्वीकृति के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए मांग सर्वेक्षण शुरू करने के संबंध में मंत्रालय के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें। कर्नाटक सरकार ने अभी तक मंत्रालय के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

*****